



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र संख्या 25/2015.....जिला-अलवर
 उनवान- वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अलवर बनाम मैसर्स वियज इण्डस्ट्रीज, अलवर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2017	<p align="center"><u>खण्डपीठ</u> <u>श्री.खेमराज, अध्यक्ष</u> <u>श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य</u> <u>(कैम्प-जयपुर)</u></p> <p>व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री ओ.पी.गुप्ता एवं राजस्व की ओर से श्री रामकरण सिंह, उप-राजकीय अभिभाषक उपस्थित ।</p> <p>व्यवहारी की ओर से बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक ने उक्त रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र को आगे नहीं चलाने का कथन करते हुए उसे विद्वा करने का निवेदन किया, जिस पर राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की।</p> <p>उभय पक्षीय बहस सुनी गयी । व्यवहारी द्वारा रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र को विद्वा करने के निवेदन को स्वीकार किया जाकर उक्त रेक्टिफिकेशन प्रार्थना पत्र को जरिए विद्वाअल खारिज किया जाता है।</p> <p>निर्णय सुनाया गया ।</p> <p align="center">  (मदन लाल मालवीय) सदस्य </p> <p align="center">  (खेमराज) अध्यक्ष </p>	